

कार्यकारिणी सार (हिंदी) ड्राफ्ट ई.आई.ए / ई.एम.पी रिपोर्ट

के लिए

आयरन ओर खनन परियोजना

खनन पट्टा क्षेत्र – 4.945 हैक्टेयर,

(एम.एल नं 10 / 98),

निकट ग्राम – भगोली

तहसील - उदयपुरवाटी, जिला: झुंझुनूं, राज्य - राजस्थान

परियोजना की लागत - रुपये 100.00 लाख

प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 1,50,700 टी.पी.ए (रोम)

अध्ययन की अवधि: शरद ऋतु (01/12/2020 - 28/02/2021)

प्रयोगशाला का नाम: नोएडा टेस्टिंग लेबोरेटरीज

MoEF और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला

(NABL प्रमाण पत्र संख्या: TC-6814; वैधता तिथि: 02 / 12 / 2021)

आवेदक

मैसर्स नीलकंठ कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड

निवासी गांधीधाम के सामने, प्लॉट नंबर 403, वार्ड 6/सी,

ओम सिनेप्लेक्स के सामने, आदिपुर, कच्छ (गुजरात)

ईमेल: msnilkanthconcast@gmail.com

पर्यावरण सलाहकार



फुलग्रो एनवार्नर्मेंटल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(NABET मान्यता प्राप्त & ISO 9001: 2015 प्रमाणित कंपनी)

27, अशोक वाटिका, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान -302012

ई मेल: info@fulgro.in, संपर्क करें: 0141-2466841, 91-9982170000

वेबसाइट: www.fulgro.in

क्यूसीआई नाबेट के अनुसार मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठनों की सूची- 'ए' मान्यता प्राप्त ईआईए सलाहकार

संगठन संशोधन, जून 09th, 2021 एफईईएस जयपुर सीरियल नंबर पर सूचीबद्ध. - 100

कार्यकारी सारांश

1.0 परिचय

उक्त खनन पट्टा (एम.एल नं 10/98), गाँव – भगोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला: झुँझुनूं (राजस्थान) में स्थित है। प्रारंभ में खनन पट्टा श्री बजरंग कुमार बंसल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के पक्ष में शासकीय आदेश पी-17(32)खान/समूह-1/2002 दिनांक 10/05/2002 को प्रदान किया गया था और 31/10/2002 को 30 साल के लिए यानी 31/10/2032 तक पंजीकृत किया गया।

इसके अलावा खनन पट्टा मैसर्स नीलकंठ कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आदेश संख्या पी 17 (32) / खान / समूह -2/2000-भाग दिनांक 10/10/2013 को स्थानांतरित किया गया था और 22/11/2013 को निष्पादित किया गया था और 04/12/2013 को पंजीकृत किया गया। लीज अवधि को 50 वर्ष अर्थात् 31/10/2052 तक पत्र दिनांक 20/02/2015 के माध्यम से बढ़ा दिया गया था। 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए समीक्षा खनन योजना को क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो अजमेर द्वारा पत्र संख्या 584(4)(3)(1731)/2018 आरसीएम–एजेएम दिनांक 27/04/2018 को अनुमोदित किया गया। यह परियोजना 14 सितंबर 2006 (पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन) अधिसूचना व संशोधित अधिसूचना S.O.3977 (E) दिनांक 14 अगस्त 2018 के तहत श्रेणी बी-1 के अंतर्गत आती है। इसलिये इस परियोजना को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति से पर्यावरण मंजूरी (ई.सी) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार/एस.ई.आई.ए.ए से आवश्यक है।

1.1 परियोजना और परियोजना की पहचान

1.1.1 परियोजना का नाम

यह आयरन ओर की खनन परियोजना है, जिसका एम.एल नं 10/98, खनन पट्टा क्षेत्र 4.945 हैक्टेयर, क्षेत्र में पड़ती है। प्रस्तातिव खनन परियोजना की उत्पादन क्षमता 1,50,700 टी.पी.ए (रोम) है जो कि खसरा संख्या 1583, 1601, 1582, 1602, 1604, 1606, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 और 1571 के गाँव भगोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला: झुँझुनूं (राजस्थान) में स्थित है।

उक्त ई.आई.ए को क्लस्टर सर्टिफिकेट नम्बर एमई / झुँझुनूं /एम.एल नं 10/98/ 570 दिनांक 17/06/2020 के अनुसार जमा किया जा रहा है।

1.1.2 परियोजना का प्रस्ताव

परियोजना प्रस्तावक :

मैसर्स नीलकंठ कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड

निवासी गांधीधाम के सामने, प्लॉट नंबर 403, वार्ड 6/सी,
ओम सिनेप्लेक्स के सामने, आदिपुर, कच्छ (गुजरात)

1.1.3 पर्यावरणीय सलाहकार

फुलग्रो एनवायर्नमेंटल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया प्रा। लिमिटेड (QCI NABET मान्यता प्राप्त) उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण सलाहकार है।

पंजीकृत कार्यालय का पता: 27, अशोक वाटिका, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान

1.1.4 प्रयोगशाला का विवरण

NABL / MoEF और CC मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नोएडा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा शरद ऋतु के मौसम के लिए बेसलाइन डेटा (1 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक) उत्पन्न किया गया है।

प्रत्यायन संख्या टीसी -6814, वैधता दिनांक: 02/12/2021

पता: सेक्टर 117, जीटी 20, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर -201301, उत्तर प्रदेश

2.0 परियोजना का वर्णन

परियोजना का स्थान

खनन परियोजनां ग्राम: भगोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला: झुंझुनूं राजस्थान के पास स्थित खनिज आयरन ओर की हैं।

ऑपरेशन का आकार और परिमाण

उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड विधि द्वारा 1,50,700 टी.पी.ए (रोम) के उत्पादन आयरन ओर के खनन के लिए है। खनन पट्टा क्षेत्र 4.945 हेक्टेयर है। जो गैर-वन भूमि है। कुल न्यूनतम भंडार 805810 मीट्रिक टन हैं। खदान का अपेक्षित जीवन 6.62 वर्ष है।

टेबल नंबर 2.1: परियोजना का विवरण

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण
1	खनन क्षेत्र	4.945 हेक्टेयर
	खान की समय सीमा समाप्ति तक खनन किया जाने वाला क्षेत्र	1.860 हेक्टेयर
	खनन की अंतिम गहराई	जमा 1 खनन 410 एमआरएल की ऊंचाई से होगा खनन की गहराई 30 मीटर बीजीएल (380 एमआरएल) होगी जमा 2 खनन 428 एमआरएल की ऊंचाई से होगा खनन की गहराई 48 मीटर बीजीएल (380 एमआरएल) होगी
2	कुल उत्पादन क्षमता	1,50,700 टी.पी.ए (रोम)
3	खनन विधि	ओपन कास्ट सेमी-मैकेनाइज्ड नोट: ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के साथ
4	कच्चे माल की आवश्यकता / कोई नहीं	
5	पानी की आवश्यकता	7.50 किलो लीटर प्रति दिन
	घरेलू	2.70 किलो लीटर प्रति दिन
	धूल का दमन	1.00 किलो लीटर प्रति दिन
	हरीत पट्टी	3.80 किलो लीटर प्रति दिन
	स्रोत	निजी पानी के टैंकर के माध्यम से पास के गांव

		भगोली द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
6	अपशिष्ट जल उत्पादन	लागू नहीं
7	कुल बिजली की आवश्यकता और स्रोत	खनन कार्य को सूर्य उदय के दौरान सूर्य अस्ति के दौरान किया जाएगा ताकि खनन कार्य के लिए किसी बिजली की आवश्यकता न हो। हालांकि, यदि आवश्यक पड़ने पर बिजली कनेक्शन संबंधित बिजली विभाग से लिया जाएगा।
8	श्रमशक्ति	77

2.1 परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत परियोजना का संक्षिप्त विवरण:

टेबल 2.2: परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण		
A.	परियोजना का नाम	आयरन ओर खनन परियोजना		
B.	परियोजना का आकार			
1.	खनन क्षेत्र	4.945 हेक्टेयर		
2	खनन की विधि	अर्ध-मशीनीकृत (ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग)		
3	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	1,50,700 टी.पी.ए (रोम)		
C.	परियोजना स्थल			
1.	गाँव	भगोली		
2.	तहसील	उदयपुरवाटी		
3.	जिला	झुंझुनूं		
4.	राज्य	राजस्थान		
5.	अक्षांश एवं देशान्तर	पिलर नं.	अक्षांश	देशान्तर
		A	27°45' 28.86" N	75°41'45.01" E
		B	27°45' 19.94" N	75°41'32.92" E
		C	27°45' 22.82" N	75°41'30.24" E
		D	27°45' 31.74" N	75°41'42.33" E
		E	27°45' 28.86" N	75°41'45.01" E
7.	टोपोशीट नंबर	45M/9, 45M/10, 45M/13 & 45M/14		
डी.	पर्यावरण सेटिंग्स का विवरण (खनन पट्टे क्षेत्र से हवाई दूरी और दिशा के साथ)			
1	निकटतम गाँव	पापरा (1.23 किमी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से) भगोली (1.70 किमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)		
2	निकटतम शहर	नीम का थाना (7.85 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)		
3	निकटतम राजमार्ग	स्टेट हाईवे -37, (6.30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से) स्टेट हाईवे -13, (9.60 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर		

		खनन पट्टे क्षेत्र से)
4	निकटतम रेलवे स्टेशन	नीम का थाना रेलवे स्टेशन (8.40 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
5	निकटतम हवाई अड्डा	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (103.25 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
6	राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि), आरक्षित / संरक्षित वन 10 किलोमीटर के दायरे के अध्ययन क्षेत्र में।	राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आदि 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में नहीं हैं। अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में कुछ संरक्षित वन हैं जैसे:
		कांकरिया प्रखण्ड संरक्षित वन 3.22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से
		नोरंगपुरा प्रखण्ड संरक्षित वन 4.60 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से
		कांकरिया प्रखण्ड संरक्षित वन 4.85 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से
		कांकरिया प्रखण्ड संरक्षित वन 7.71 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से
		चिंडोली संरक्षित वन 7.90 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से
7	10 किमी के दायरे में जल निकाय	जल निकाय
		कांतली नदी (0.35 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
		गांव मावंडा तारला के पास जल निकाय (7.90 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
		चंद्रभागा नदी (8.83 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
		खकली नाल (9.65 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर खनन पट्टे क्षेत्र से)
8	पुरातात्त्विक महत्व के स्थान	खनन पट्टे क्षेत्र की सीमा से 10 किमी के दायरे में कोई पुरातात्त्विक महत्व का स्थान नहीं है।
9	भूकंपीय क्षेत्र	भूकंपीय क्षेत्र - III (आईएस 1893 के अनुसार (भाग - I): 2002) (Source: National Disaster Management Authority www.ndma.gov.in/en/zone-map.html)
अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय सेटिंग्स स्रोत: साइट का दौरा और क्षेत्र की विषय-वस्तु		
E.	लागत विवरण	
1	कुल परियोजना लागत	₹ 100.00 लाख
2	पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए लागत	₹ 5.00 लाख

3.0 वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और साइट विश्लेषण

चूंकि खनिज साइट विशिष्ट है, इसलिए किसी वैकल्पिक साइट की जांच नहीं की गई छें

4.0 पर्यावरण का वर्णन

पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के द्वारा शरद ऋतु (1 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक) के दौरान बेसलाइन पर्यावरण निगरानी की गई थी। मौसम विज्ञान, वायु, जल, मिट्टी और शोर की गुणवत्ता जैसे पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी के लिए, अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निगरानी स्टेशनों को ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 3 में उल्लिखित चयन के मानदंडों के अनुसार स्थापित किया गया है। नमूने के स्थानों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

मिट्टी के नमूनों के स्थानों का विवरण

कोड	स्थान	(किमी) में दूरी खनन पट्टे क्षेत्र से	दिशा खनन पट्टे क्षेत्र से)	चयन मानदंड
एस.क्यु 1	खनन स्थल		कोर जोन	कौर जोन
एस.क्यु 2	ढाणी	0.18	दक्षिण पूर्व	कृषि भूमि
एस.क्यु 3	रोड जंक्शन के पास	0.49	उत्तर	कृषि भूमि
एस.क्यु 4	भगोली	1.56	उत्तर पश्चिम	कृषि भूमि
एस.क्यु 5	पापरा	1.38	दक्षिण पश्चिम	कृषि भूमि
एस.क्यु 6	सराय	2.24	उत्तर पूर्व	कृषि भूमि

जल के नमूनों के स्थानों का विवरण

कोड	स्थान	हवाई दूरी (किमी)	दिशा
		डल्यूआर.टी खनन पट्टे क्षेत्र से	
भूजल			
भूजल 1	ढाणी	0.18	दक्षिण पूर्व
भूजल 2	भगोली	1.56	उत्तर पश्चिम
भूजल 3	रोड जंक्शन के पास	0.49	उत्तर
भूजल 4	पापरा	1.38	दक्षिण पश्चिम
भूजल 5	सराय	2.24	उत्तर पूर्व
भूजल 6	पचलंगी	4.00	दक्षिण दक्षिण पश्चिम

वायु गुणवत्ता नमूनाकरण स्थान

कोड	ऐरिया	हवाई दूरी (किमी में) खनन पट्टे क्षेत्र से	दिशा खनन पट्टे क्षेत्र से	चयन मानदंड
वायु गुणवत्ता 1	खनन स्थल	--	--	कौर जोन
वायु गुणवत्ता 2	ढाणी	0.18	दक्षिण पूर्व	प्रमुख हवा की दिशा में नीचे की ओर
वायु गुणवत्ता 3	रोड जंक्शन के पास (नीम का थाना रोड)	0.49	उत्तर	रोड जंक्शन के पास
वायु गुणवत्ता 4	भगोली	1.56	उत्तर पश्चिम	प्रमुख हवा की दिशा की ओर
वायु गुणवत्ता 5	पापरा	1.38	दक्षिण पश्चिम	बफर जोन में निकटतम निवास स्थान
वायु गुणवत्ता 6	सराय	2.24	उत्तर पूर्व	दूसरी प्रमुख हवा की दिशा में ऊपर की ओर
वायु गुणवत्ता 7	नीम का थाना	8.00	पूर्व दक्षिण पूर्व	मिश्रित यातायात घनत्व वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र

शोर निगरानी नमूनाकरण स्थान

स्थान कोड	स्थान	दूरी (किमी)	दिशा	चयन करने का मापदंड
		डब्ल्यूआर.टी खनन पट्टे क्षेत्र से		
ध्वनि गुणवत्ता 1	खनन स्थल		कौर जोन	परियोजना स्थल (औद्योगिक क्षेत्र)
ध्वनि गुणवत्ता 2	ढाणी	0.18	दक्षिण पूर्व	आवासीय क्षेत्र के पास
ध्वनि गुणवत्ता 3	रोड जंक्शन के पास	0.49	उत्तर	रोड जंक्शन के पास (नीम का थाना रोड)
ध्वनि गुणवत्ता 4	भगोली	1.56	उत्तर पश्चिम	नीम का थाना रोड
ध्वनि गुणवत्ता 5	पापरा	1.38	दक्षिण पश्चिम	ग्रामीण बस्ती में गांव की सड़क के पास
ध्वनि गुणवत्ता 6	सराय	2.24	उत्तर पूर्व	आवासीय क्षेत्र के पास

4.1 भूमि पर्यावरण

4.1.1: भूमि उपयोग

नवीनतम उपग्रह इमेजरी के आधार पर अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग पैटर्न नीचे दिया गया है: -

टेबल नंबर 4.1 – अध्ययन क्षेत्र की भूमि का उपयोग

क्र.सं.	श्रेणी	हेक्टेयर में क्षेत्रफल.	(क्षेत्र) %
1	शहरी	532.6674	1.61
2	ग्रामीण	650.4027	1.97
3	जल निकायों	14.7539	0.04
4	खनन/खान डंप	22.231	0.07
5	नदी	1769.1766	5.36
6	बाढ़ का मैदान	2457.4901	7.44
7	सिंचार्इ	911.225	2.76
8	बंजर भूमि / झाड़ियाँ भूमि	21113.3128	63.91
9	मध्यम रूप से विच्छेदित पहाड़ियाँ	326.8665	0.99
10	अत्यधिक विच्छेदित पहाड़ियाँ	5236.6396	15.85
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		33034.7657	100.00

4.2 पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन (वायु, ध्वनि, जल व मृदा) से संबंधित औँकड़ों का परिणाम—

अध्ययन क्षेत्र का आधारभूत अध्ययन (1 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021) के दौरान किया गया। सभी 7 ए.ए.क्यू.एम. स्टेशन में पीएम.₁₀ की सांद्रता का स्तर 41.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 78.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, पीएम._{2.5} की सांद्रता का स्तर 21.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 45.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है सल्फर डाई ऑक्साईड का स्तर 4.78 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 9.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर एंव नाईट्रोजन डाई आक्साइड का स्तर 9.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 20.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच पाया गया है।

परिवेशी ध्वनि स्तर की जांच खान क्षेत्र के व आस-पास कुल 6 स्थानों पर की गई। दिन के समय ध्वनि स्तर 47.1 से 51.8 Leq.dB(A) एंव रात के समय स्तर 38.3 से 43.4 Leq.dB(A) के बीच पाया गया है।

भू-जल के सभी 6 सेम्प्लिंग स्टेशनों पर पी.एच. मान 7.6 से 7.8 कुल कठोरता 303 मिलीग्राम प्रति लीटर से 482 मिलीग्राम प्रति लीटर एंव कुल घुलनशील पदार्थ 758 मिलीग्राम प्रति लीटर से 910 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया।

मृदा विश्लेषण के परिणाम से यह पता चलता है कि पी.एच. स्तर 7.9 से 8.2 के बीच है इसलिए मृदा की प्रकृति थोड़ी क्षारिय से मध्यम क्षारिय पायी गयी है।

4.3 जैविक पर्यावरण :-

वनस्पति – अध्ययन क्षेत्र व उसके 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियाँ इस प्रकार हैं – विलायती प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (बबूल), एकोसिया निलोटिका (दिसी बबूल), अजाडिरेक्टा इंडिका (नीम), बेर (ज़िजिफस जुजुबा), मोरस अल्बा (शहतूत), अमलिका ओपिफशनलिस (ऑवला), फीनिक्स सिल्वेरिस्ट्रिस (खजूर) इत्यादि वृक्षों के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड़ और पेड़ों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद और पानी का छिड़काव किया जायेगा। क्षेत्र को मवेशी खतरे से बचाने के लिए घेराबंदी की जायेगी।

जीव-जन्तु – खनन पट्टा क्षेत्र, गैर वन भूमि में है जहां जीव जन्तुओं की उपस्थिति बहुत कम है। खनन क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र में किसी भी संकटग्रस्त जीव-जन्तु की प्रजाति नहीं पाई गई हैं। इस तरह, अध्ययन क्षेत्र में पाए गए जीव जन्तु पर खनन गतिविधि का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.4 सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण –

सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए अध्ययन क्षेत्र को तीन क्षेत्रों जैसे प्राथमिक क्षेत्र (0–3 किमी), माध्यमिक क्षेत्र (4–7 किमी) और बाहरी क्षेत्र (8–10 किमी) में विभाजित किया गया है। कुल 36 गाँव खनन परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 50,148 है और अध्ययन क्षेत्र में कुल घर 8889 हैं, जिनमें से प्राथमिक क्षेत्र में 1656 घर, माध्यमिक क्षेत्र 4192 घर और बाहरी क्षेत्र में 3041 घर हैं। क्षेत्र में औसत परिवार का आकार लगभग 5 है।

4.5 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव व कम करने के उपाय

- **वायु पर प्रभाव—परियोजना के मुख्य वायु उत्सर्ग पार्टिकुलेट पदार्थ (पी.एम.₁₀), पार्टिकुलेट पदार्थ (पी.एम._{2.5}), नाईट्रोजन डाई ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड है। आवधिक वायु गुणवत्ता की निगरानी और वायु प्रदूषण कम करने के लिए उचित शमन उपायों का इस्तेमाल जैसे हॉल रोड़ पर जल का नियमित छिड़काव, वाहनों का उचित रखरखाव व सड़क एवं खनन क्षेत्र की सीमा के साथ हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा।**
- **जल पर्यावरण पर प्रभाव** – खनन के दौरान खनन क्षेत्र से किसी भी प्रकार से जल का दोहन नहीं किया जायेगा। खनन के दौरान जल को प्रतिच्छेद नहीं किया जायेगा व खनन के दौरान जल की मात्रा व गुणवत्ता पर कोई भी विपरीत प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।
- **ध्वनि का प्रभाव** – कार्य क्षेत्र में उत्पन्न सामान्य ध्वनि स्तर 75 Leq dB (A) से कम हैं। खान स्थल पर खनिज के वहन हेतु इस्तेमाल किए गए परिवहन वाहन ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत हैं। अतः वाहनों और खनन मशीनों से उत्पन्न ध्वनि को अनुमेय सीमा में रखने के लिए उपाय किए जाएंगे।
- **भूमि पर्यावरण पर प्रभाव** – खुदाई की प्रक्रिया के कारण भूमि का उपयोग बदल जाएगा। खुदाई किए गए गड्ढे का 1.860 हेक्टेयर पानी के जलाशय में परिवर्तित किया जाएगा। पानी का उपयोग वृक्षारोपण के उद्देश्य से किया जाएगा।

- स्थलाकृति और जल निकासी पैटर्न पर प्रभाव – स्थलाकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी क्षेत्र की प्राकृतिक ढाल का पालन करेगा।
- मृदा पर प्रभाव – खनन गतिविधियों से आसपास के क्षेत्र की मृदा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- जैविक वातावरण पर प्रभाव – कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.6 पश्च–परियोजना पर्यावरण विश्लेषण कार्यक्रम:—

तालिका 4.2 – पश्च–परियोजना पर्यावरण विश्लेषण कार्यक्रम

क्र.सं	गतिविधि	निगरानी के लिए पैरामीटर	निगरानी की आवृत्ति	स्थान
वायु प्रदूषण की निगरानी				
1	निर्दिष्ट मापदंडों की परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर और बाहर CPCB द्वारा।	सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मापदंडों की परिवेशी वायु निगरानी, अधिमानतः पीएम 10, पीएम 2.5, एसओ 2 और एनओएक्स खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर और खदान लीज क्षेत्र के बाहर।	मानसून को छोड़कर प्रत्येक स्टेशन पर हर मौसम में एक बार	नियत इसी पत्र के अनुसार, माइन पिट के पास, लोडिंग क्षेत्र, निकटतम आवास (नीचे और ऊपर की ओर)
जल प्रदूषण निगरानी				
1	आस–पास के क्षेत्र में सतह और भूजल नमूनों की निगरानी। आईएस मानकों के अनुसार पैरामीटर आवश्यक पैरामीटर हैं।	पैयजल मानकों के अनुसार	एक वर्ष में दो बार (प्री और पोस्ट मानसून)	सतह के पानी का एक नमूना और भूजल का एक नमूना / इसी पत्र के अनुसार।
शोर गुणवत्ता निगरानी				
1	खनन पट्टे क्षेत्र में परिवेश के माहौल में शोर।	स्पॉट शोर स्तर रिकॉर्डिंग लेक (दिन), लेक (रात), लेक (डीएन)	मानसून को छोड़कर हर मौसम में एक बार	खदान क्षेत्र के पास, लोडिंग क्षेत्र के पास
2	यंत्रीकृत उपकरणों और वाहनों का रखरखाव और सेवा।		त्वान्संतसल	..
मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी				
1	माइन साइट पर मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी		हर साल में एक बार	खदान के पट्टे के दायरे में, पास का कृषि क्षेत्र
हाइड्रोज्योलोजी				
1	वेल इन्वेंटरी	पैयजल मानकों के अनुसार जल विश्लेषण, मानसून की अवधि और खुले कुएं में जल स्तर में उतार–चढ़ाव	मानसून के पूर्व और बाद	खदान पट्टा क्षेत्र के 5 किमी के भीतर

5.0 अतिरिक्त अध्ययन:—

सार्वजनिक सुनवाई

यह ईआईए जनसुनवाई के संचालन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी मानदंडों के अनुसार जनसुनवाई की जाएगी।

6.0 परियोजना के लाभः—

सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा क्योंकि तैनात मजदूर केवल आस-पास के गांवों से होंगे और ये लोग मुख्य रूप से ऐसी खनन गतिविधियों पर निर्भर हैं क्योंकि वे किसी अन्य व्यापार और व्यवसाय में कुशल नहीं हैं।

इसलिए, मैसर्स नीलकंठ कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर खनन परियोजना बेहतर रोजगार, बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अवसरों को बढ़ाएगी। इससे आसपास के ग्रामीणों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन मिलेगा।

7.0 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना:-

7.1 वायु गुणवत्ता प्रबन्धनः—

- धूलीय क्षेत्र जैसे की उत्थन्न और लदान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को डस्ट मास्क दिये जाएँगे।
- वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ट्रकों का सड़क परिवहन नेटवर्क हैं।
- हॉल रोड पर फ्यूजिटिव उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए धूल दमन के उपायों जैसे पानी के नियमित छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।
- ट्रकों से खनिज के छलकाव रोकने के लिए अत्यंत सावधानी रखी जाएगी।
- अधिक लदान रोका जाएगा। ट्रकों/टिपर को परिवहन के दौरान तिरपाल से ढका जाएगा।

7.2 अपशिष्ट जल प्रबन्धन

- अप्रधान खनिज के खनन कार्य से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल नहीं निकलेगा क्योंकि परियोजना में सिर्फ मैसेनरी स्टोन को निकाला जाएगा।
- खनन जल स्तर को प्रभावित नहीं करेगा।

7.3 ध्वनि प्रबंधन

- वाहनों को अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ताकि ध्वनि न्यूनतम संभव स्तर तक कम हो जाए।
- पुराने और जीर्ण ट्रकों को चरणबद्ध तरीके द्वारा बाहर किया जाएगा।
- ट्रक चालकों को गांव क्षेत्र में होर्न के न्यूनतम उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
- खदान/उत्थन्न गतिविधियों के दौरान कम से कम ध्वनि उत्पन्न हो इसके लिए सावधानी बरती जाएगी।
- परिवहन वाहनों अर्थात् ट्रक/ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य उपकरण शामिल नहीं हैं।

➤ घर्षण ध्वनि को दबाने के लिए वाहनों का उचित और नियमित रखरखाव किया जाएगा।

7.4 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत खनन योजना के अनुसार 77,870 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होगा जिसे पट्टा क्षेत्र में डंप किया जाएगा। बाजार में निम्न ग्रेड खनिज और धूल सहित अपशिष्ट सीमेंट उद्योगों को बेचा जाएगा। पट्टेदार राज्य सरकार की नीति के अनुसार विभाग से अल्पावधि, परमिट लेने के बाद कचरे की बिक्री भी करेगा।

7.5 हरित पटिका का विकास एवं पौधारोपण कार्यक्रम –

हरित पटिका का विकास

वर्ष	अबाधित क्षेत्र		पुर्णभरण क्षेत्र		खदान के बाहर का क्षेत्र		शीर्ष मिट्टी डंप		कुल	
	एरिया (है.)	पेड़ों की संख्या	एरिया (है.)	पेड़ों की संख्या	एरिया (है.)	पेड़ों की संख्या	एरिया (है.)	पेड़ों की संख्या	एरिया (है.)	पेड़ों की संख्या
मौजूदा	0.100	60	--	--	--	--	--	--	0.100	60
I	0.511	530	--	--	--	--	--	--	0.511	530
II	0.511	522	--	--	--	--	--	--	0.511	522
III	0.510	520	--	--	--	--	--	--	0.510	520
IV	रखरखाव किया जायेगा।									
V	रखरखाव किया जायेगा।									
खदान के समय सीमा समाप्ति तक	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	1.632	1632	--	--	--	--	--	--	1.632	1632

कुल 1632 पौधे 1.632 हेक्टेयर (यानी खदान पट्टा क्षेत्र का 33%) के क्षेत्र में लगाए जाएंगे, जिसमें से 60 पौधे 0.100 हेक्टेयर क्षेत्र में और शेष 1572 पौधे 1.532 हेक्टेयर के अबाधित क्षेत्र में लगाए जाएंगे। एम.ओ.ई.एफ और सी.सी.ओ.एम. पत्र क्रमांक 22&34 / 2018&IA-III दिनांक 16 जनवरी 2020 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी अन्य क्षेत्र में खनन कार्य के कारण भूमि को ऐसी स्थिति में बहाल कर देगा जो चारा, वनस्पतियों के विकास के लिए उपयुक्त हो। स्थानीय प्रजातियों के लिए अधिक उपयुक्त मूल प्रजातियों को रोपित किया जाना पसंद किया जाता है जैसे गुलमोहर, नीम, आंवला, अमलतास, खेजड़ी, आदि।

7.6 सामाजिक आर्थिक पर्यावरण –

प्रस्ताव खनन सीधे नए रोजगार उत्पन्न करेगा और सहयोगी गतिविधि भी रोजगार का अवसर प्रदान करेगी, जिसका लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। इस खदान की शुरुआत आस-पास के गांवों के घरों में आजीविका का स्रोत बन जाएगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देगी। इसके अलावा, स्थानीय लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी गतिविधियों में विश्वास में लिया जाएगा।

7.7 व्यावसायिक स्वास्थ्य एंव सुरक्षा –

- धूल के उत्सर्जन को छोड़ के स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों की संभावना का कोई स्रोत नहीं है। धूलीय क्षेत्र जैसे की उत्खन्न और लदान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को डस्ट मास्क दिये जाएँगे।
- परिवहन के दौरान धूल के उत्पादन को कम करने के लिए वाहनों की गति को 25 किमी / घंटा से नीचे तक सीमित रखा जाएगा।
- अभी तक क्षेत्र व उसके आसपास कोई भी व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा नहीं पाया गया है।
- निवारक कार्यवाही के रूप में सम्भावित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- किसी भी मजदूर की स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या का उचित निवारण किया जाएगा।
- आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जायेगी।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम: सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के लिए योग्य डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम समय–समय पर दौरा करेगी, टीम और उसके रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखा जाएगा।

8.0 निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जल की गुणवत्ता, जल विज्ञान, मिट्टी, भूविज्ञान, जैव विविधता, वायु गुणवत्ता, जोखिम खतरों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शोर और कंपन और ठोस अपशिष्ट उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खदान लीज क्षेत्र में भूमि उपयोग पैटर्न में एक दृश्य परिवर्तन होगा।

पानी के छिड़काव से स्रोत पर धूल को कम करके खनन का एक सतत विकास किया जाएगा, शोर स्थल पर चेहरे का मुखौटा, जूते और कान प्लग के साथ श्रम प्रदान किया जाएगा। परिवहन खनिज को कवर तिरपाल के माध्यम से किया जाएगा। PUC प्रमाणित वाहन को माइन लीज क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी, माइन लीज क्षेत्र में वाहन की गति को प्रतिबंधित किया जाएगा और वाहनों के ओवर लोडिंग का अभ्यास नहीं किया जाएगा। काम केवल दिन के समय में ही किया जाएगा। क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता मॉडलिंग भी किया गया था, पीएम 10, पीएम 2.5, यातायात उत्सर्जन कारकों जैसे वायु गुणवत्ता मापदंडों पर विचार करके उच्च एकाग्रता का अनुमान नहीं लगाता है।

परिवेशी वातावरण पर बहुत कम या नगण्य प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है जबकि इस खनन गतिविधि के कारण होने वाले सकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं और पर्यावरण के लिए टिकाऊ होते हैं। इसके अलावा, विभिन्न शमन उपायों का सुझाव देकर, संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है।